

④ A

RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, कaramगंज,
दरभंगा-846001



Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

पत्रांक 838

प्रेषण,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

दरभंगा पब्लिक स्कूल, रामगंज, दरभंगा, दिनांक 06/07/2017 ई०।
विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के
प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विनियमवली के नियम 11 के
उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र एवं विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर
दिनांक 08.06.2017 को प्रस्वीकृति समिति के बैठक में निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय
दरभंगा पब्लिक स्कूल, रामगंज, दरभंगा
विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा-1 से कक्षा-8 संचालन हेतु पत्र 01/04/17 से तीन
वर्षों के लिए औपचारिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विनियमवली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यकी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चे एवं कमजोर वर्ग के बच्चे से तात्पर्य यह है कि सामान्य समूह के बच्चे (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनके माता-पिता के वार्षिक आय 2 लाख रु० से कम है।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोफ में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यार्थी के दा किस्ती प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है

फोन एवं फॅक्स - 0612-254055

Principal
DARBHANGA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE UPTO 10+2
AFFILIATION No. J10356, SCHOOL No. 45340
RAMSAGH BYPASS, NEAR NH-37, DARBHANGA

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, करमगंज,
दरभंगा-846001



Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :-
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों को नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं गानदंड के अनुसार विद्यालय में निम्न सुविधाओं को रखना अनिवार्य है :-
 - विद्यालय का अपना परिसर
 - वर्गकक्षों की संख्या : 30 छात्र पर एक वर्ग कक्ष
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय
 - पेयजल की सुविधा
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर
 - बाधारहित पहुंच
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय

विद्यालय अभिमान

फोन एवं फैक्स - 06272-254058

Principal
DARBHANGA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE UPTO 10+2
AFFILIATION No. 330356, SCHOOL No. 65349
RAMBAGH BYPASS, NEAR TIKH-37, DARBHANGA

बिहार शिक्षा परियोजना
शिक्षा भवन, फरमगंज,
दरभंगा-846001



Bihar Education Project
Shiksha Bhawan, Karamganj,
Darbhanga-846001

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ...4-9/1-7 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनार्य, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. यह प्रस्वीकृति अस्थायी है। तीन वर्ष के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रस्वीकृति का नवीकरण नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

शिक्षा भवन, फरमगंज,
दरभंगा-846001

फोन एवं फैक्स - 00272-254050

Principal
DARBHANGA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE UPTO 10+2
AFFILIATION No. 330356, SCHOOL No. 65349
RAMBAGH BYPASS, NEAR NH-37, DARBHANGA

Registration no: (21A11R42021027002330) Date: (27-09-2021) Valid till: (27-9-2024)



विद्या शिक्षा प्रशासिका कागज़ (DARBHANGA)
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्राथमिक



मेरा मे

अध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रमुख
प्राथमिक शिक्षा विभाग, 0
पिआ के, 2 कानून/टी 0200

4 - B - EXTENSION OF RECOGNITION (RTE)

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के अधीनस्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनिषय के अन्तर्गत विद्यालय की प्रतीति का प्रमाण पत्र।

प्रमाण,

आपके आदेश पर दिनांक: 27-09-2021 और उसके क्रम में आपसे मिले गये बचपान एवं विद्यालय के जिन गैर निरीक्षण के आलेख आपके विद्यालय DARBHANGA PUBLIC SCHOOL... 0, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन बच्चों 27-09-2021 से 27-9-2024 अर्थात् के लिए औपचारिक प्रतीति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रतीति निम्न बातों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रतीति नि किन्ती भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2018 (अनुसूचक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के मातापिता की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का मातापिता अपने 3 करेगा। यद्यपि के कमजोर वर्ग एवं अक्षरकारी समूह के बच्चों का होगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मातृका का अनुपालन पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलेख में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं प्रत्यक्ष किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के मातापिता से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता मातापिता की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, धर्म स्थान आदि कारणों का हवाला न देकर।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का प्रारम्भिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 23 के आलेख में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलेख में विभागीय / विधेय आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा में प्रावधानित शिक्षकों के कार्यवाही का निर्वाह करेगा।
- (viii) शिक्षक निम्नी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपत्रों का अनुपालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के आलेख में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपलब्ध रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्न

DARBHANGA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE UPTO 8+2
AFFILIATION No.-330356, SCHOOL No.-65349
RAMBAGH BYPASS NEAR NH 27, DARBHANGA

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 243.64

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 243.64

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- 1 Acre Playground, 1 Indoor Games hall (2200 Square feet), 80+ classrooms, All digital classrooms, 2 Libraries (8000+ Books), 6 Labs (3 Science + 2 Computer + 1 Maths) + 1 Auditorium

(iv) का काको की कुल संख्या :- 60

(v) प्रधानाध्यापक सह कार्यलय सह-अधीनस्थ शिक्षक :- 6

(vi) शासक तथा प्राधिकाओं के लिये अलग-अलग कोचालय - Boys Indian and Western, Boys - 16, Girls 37

(vii) पेयजल की सुविधा :- 50

(viii) पर्याप्त भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) बाधाहित पट्टिका :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय :- Playway Equipments, Educational Toys, Globe, Map, Smartclassroom, Computers, Lab Equipments, Badminton Rackets - 32 Shuttle - 120 Carrom Board - 10 Chess and Draught Board - 8 Chinese Chequer - 8 Cricket Bat - 12 Cricket Balls - 24 Cricket Kit - 4 Soft Footballs - 8 Shipping Ropes - 12 Table Tennis Tables - 4 Volleyballs - 8, { T, 999, NewsPaper Magazine - 12 }

11. कोई भी अपस्वीकृत कार्य विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अपना अन्य सार्वजनिक अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय कोसालीटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित कोसालीटी के द्वारा अपना किसी निर्धारित समय में लागू लागू करने के लिये कठिनाई नहीं होगी।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के रूप में अपना किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. सेवा का अंशदान एवं उसका प्रशासकीय कार्य के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अंतर्गत में उपर्युक्त सेवा विवरणों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकित कोड संख्या (21511842021927002339, 2021) है। इस कार्यलय में किसी प्रकार का बसावर करने में इस कोड को अंकित एवं उपर्युक्त किया जाए।

17. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा प्रदायिका के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा प्रतीकित की जाती है ताकि रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता है। अथवा विद्यालय संघासन में संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि कोसालीटी के निर्देशन के अधीनस्थ की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचित जाति के रूप में लागू अन्य चीजें

विद्यालय भाष्य

हस्ताक्षर

जिला कार्यक्रम प्रदायिका, DARBHANGA
सह-सचिव प्रतीकित समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

MOO-LEREN

Principal

DARBHANGA PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO CBSE UPTO 10+2
AFFILIATION No.-330356, SCHOOL No.-65349
RABHAGH BYPASS, NEAR J.N.C. DARBHANGA